

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No.- FFE-B-F002/25/2023

Dated: Shimla-171 002, the

31-10-2023

ORDER

Subject:- Diversion of 0.4047 ha of forest land in favour of I & PH Department, Himachal Pradesh for the construction of Septage Treatment Plant at Sakoh, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division District Kangra, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Others/50258/2020)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, उप-कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: FC/HPB/09/43/2021, दिनांक 12.10.2023 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.4047 है० वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

- वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संरक्षित पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 810 Tall Plant का पौधारोपण Compartment No. UP-93K Fogal C-2, Manai Beat, Pandwar Block, Lapiana Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।



31/10/23
OFFICE (CA)

ARUF (FCA)

FE/2/1

10/11/23 FCA

- v. प्रतिपूर्ति पौधारोपण उपरोक्त सन्दर्भित अनुमोदन पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- vi. CEO, State CAMPA, उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़) द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृक्षारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
- vii. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे और MoEF&CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित CA Sites को नहीं बदलेंगे।
- viii. राज्य वन विभाग प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगा।
- ix. वन भूमि को प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- x. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य वन विभाग बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- xi. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह-समाप्ति होगी।
- xii. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

- xiii. साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तथा साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे।
- xiv. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- xv. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
- xvi. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा।
- xvii. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- xviii. अन्य कोई भी शर्त क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xx. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- xxi. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि0प्र0 वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। वन विभाग,

हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

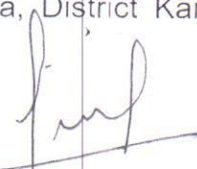
आदेशानुसार,

डॉ० अमनदीप गर्ग, भा.प्र.से.
सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated: Shimla-171 002 the, 31-10-2023

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. The Deputy Inspector General of Forests (C), Ministry of Environment, Forests & CC, Sub-Office, Shimla (Regional Office Chandigarh), C.G.O Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kangra, District Kangra, H.P.
6. Divisional Forest Officer, Dharamshala Forest Division, District Kangra, H.P.
7. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Dharamshala, District Kangra, H.P.
8. Guard File.


(Vijay Kumar, IAS)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2622498
